17/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने वाद ग्रस्त सम्पदा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पदा होना कथन करते हुये अपना हक व हिस्सा क्लेम किया है। और वाद के निर्णय तक वाद ग्रस्त सम्पदा के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन के कथनों को दोहराते हुये मौखिक बहस की है कि वादग्रस्त सम्पदा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी पीहर से न्यायालय की डिक्री बाबत बटवारा के जरिये प्राप्त होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है एवम धारा 14 तहत हिन्दु महिला को विभाजन से प्राप्त सम्पत्ति धारा 14 के अनुसार आत्यन्तिक स्वामी हो जाती है। इसलिए इस परिस्थिति में वादिया का प्रथम दृष्टया मामला केवल व सुदृढ नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

पत्रावली का का अवलोकन एव उभयपक्षकारान की बहस का मनन किया गया। कानूनी प्रावधानो का बारिकी से अध्ययन किया गया। मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष मे सुदृढ है। प्रार्थी के पक्ष मे नही। अपूरणीय क्षति भी व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष मे है प्रार्थी के नही। इसलिए आवेदन 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर।

यह फैसला दिनांक 17/5/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर,